मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

मद कमांक 1

भू-अभिलेखों के अद्यतिकरण हेतु पटवारियों को डिजिटल सिग्नेचर प्रदाय करने हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मदकमांक 2

प्रदेश के किसानों को उनकी भूमि की खसरा, नक्शा तथा बी-1 की प्रमाणित निःशुल्क प्रतिलिपि प्रदाय हेतु ₹ 300.00 लाख एवं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टा वितरण करने हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3 से 6

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पटवारियों को सूचना तकनीकी की सुविधा देने हेतु ₹ 375.00 लाख, दूरभाष व्यय ₹ 50.00 लाख एवं डेटा प्रोसेसिंग कार्य हेतु ₹ 100.00 कुल ₹ 525.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2053

मद कमांक 7

प्रदेश के 09 नवीन जिलों में कम्पोजिट भवन के लिए फर्नीचर एवं उपकरण क्रय हेतु ₹ 225.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद कमांक 8

राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर के लिए 06 नवीन वाहन (मिनी बस) क्रय हेतु (प्रति वाहन ₹ 15.00 लाख केमान से) ₹ 90.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।